झिंझरी पुलिस ने की कार्रवाई, अंधेरे में फरार हुआ कार का ड्राइवर

कार में ढुल रहा था लाखों का गांजा



कटनी,देशबन्धु। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झिंझरी पुलिस चौकी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट डिजायर कार से 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजा परिवहन में प्रयुक्त कार सहित कुल 12 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 4 नवंबर को चौकी झिंझरी पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट डिजायर कार में उमरिया की ओर से अवैध रूप से गांजा लेकर जबलपुर की तरफ परिवहन किया जा रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन तथा एएसपी कमल मौर्य, उप पुलिस अधीक्षक अनिमेष द्विवेदी एवं माधवनगर थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में पुलिस की दो टीमें सक्रिय की गईं। पुलिस टीमों ने मुखबिर के बताए मार्ग पर वाहन का पीछा किया। पुलिस से बचने के लिए कार चालक तेज रफ्तार से वाहन भगाते हुए जीएसटी कार्यालय के पास से बड़ागांव रोड की ओर मुड़ गया। इसके बाद फॉरेस्ट स्मृति वन के सामने वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन के अंदर गांजे के 50 पैकेट मिले। प्रत्येक पैकेट का वजन एक किलोग्राम पाया गया। इस तरह कुल 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने जब्त गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपये तथा कार की कीमत करीब 7 लाख रुपये आंकी है। इस प्रकार कुल 12 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश कुमार दुबे के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक सतीश भगत, सहायक उपनिरीक्षक शशिभूषण सिंह, प्रधान आरक्षक राजेश चौधरी, प्रधान आरक्षक पंकज त्रिपाठी तथा आरक्षक संजय यादव, सौरभ कुमार एवं चन्द्रकमल पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अवैध रूप से खुले में मांस-मछली बेचने वाले 6 दुकानदारों को नोटिस

निर्धारित मानकों की अनदेखी एवं खुले में विक्रय से जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को लेकर निगम प्रशासन की कार्यवाही



कटनी,देशबन्धु। नगर में स्वच्छता व्यवस्था एवं नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन ने खुले में अवैध एवं हानिकारक तरीके से मांस-मछली का विक्रय करने वाले दुर्गा चौक तिलक कॉलेज मोड़ के 6 व्यवसायियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए संबंधित विक्रेताओं को खुले में मांस-मछली का विक्रय तत्काल बंद करने का नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य अधिकारी निशांत कनोजिया द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) एवं निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन किए बिना मांस-मछली का विक्रय किया जाना नियम विरुद्ध है। विशेष रूप से अपारदर्शी कांच अथवा जाली से ढके बिना खुले में मांस-मछली का प्रदर्शन एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस तरह की गतिविधियों से आसपास गंदगी, दुर्गंध एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ने के साथ नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। निगम प्रशासन ने संबंधित विक्रेताओं को नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर खुले में किए जा रहे मांस-मछली के अवैध विक्रय को तत्काल बंद करने तथा स्थल से संबंधित अतिक्रमण एवं सामग्री स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयावधि में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध अर्थदंड, सामग्री की जब्ती एवं न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की कटनी शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, मिठाई और नमकीन के लिए नमूने

कटनी,देशबन्धु। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिले में मिलावटखोरी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार जांच एवं नमूना संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जांच टीम ने बुधवार को कटनी शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर मिठाई एवं नमकीन सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।

सार-समाचार

रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी सभा की बैठक आज

कटनी, देशबन्धु। कलेक्टर आशीष तिवारी की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय कटनी की रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी सभा की बैठक गुरुवार, 5 नवंबर को शाम 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में रोगी कल्याण समिति से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। सचिव रोगी कल्याण समिति एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ यशवंत वर्मा ने बैठक के दौरान संबंधित सदस्यों से निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

मुड़वारा और बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में तीन नए बीएलओ सुपरवाइजर नियुक्त

कटनी, देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी ने विधानसभा क्षेत्र 93-मुड़वारा एवं 94-बहोरीबंद में तीन नए बीएलओ सुपरवाइजर नियुक्त किए हैं। पूर्व में नियुक्त बीएलओ सुपरवाइजरों के सेवानिवृत्त होने एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निर्वाचन कार्य की सुविधा को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। जारी आदेश के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 93-मुड़वारा के मतदान केंद्र क्रमांक 22 से 31 तक के लिए जनपद पंचायत कटनी के श्री अशोक कुमार चक्रवर्ती के स्थान पर पीसीओ जनपद पंचायत श्री मनोज परौहा तथा मतदान केंद्र क्रमांक 43 से 53 तक के लिए शिक्षा विभाग के श्री शौकीलाल सूर्यवंशी के स्थान पर शिक्षक श्री देवराज लोधी को बीएलओ सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 94-बहोरीबंद के मतदान केंद्र क्रमांक 61 से 70 तक के लिए उच्?चतर माध्?यमिक शिक्षक बिलहरी श्रीमती रेखा तिवारी के स्थान पर उच्?चतर माध्?यमिक शिक्षक देवगांव श्री राजेश प्रताप सिंह को बीएलओ सुपरवाइजर का दायित्व सौंपा गया है।

कोदो-कुटकी उपार्जन के लिए अब 25 नवंबर तक करा सकेंगे किसान पंजीयन

कटनी, देशबन्धु। रानी दुर्गावती श्री अन्?न प्रोत्?साहन योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में कोदो-कुटकी उपार्जन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। इसी तरह पंजीकृत किसानों के सत्यापन की समय-सीमा भी बढ़ाकर 30 नवंबर निर्धारित की गई है। पूर्व में पंजीयन की अंतिम तिथि 5 नवंबर और सत्यापन की अंतिम तिथि 10 नवंबर तय थी। कलेक्टर आशीष तिवारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में अधिकाधिक कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों का पंजीयन कराने तथा पंजीकृत किसानों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 15 चयनित जिलों में कोदो एवं कुटकी का उपार्जन प्रस्तावित है। इसके लिए श्रीअन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

त्योहारों पर खुली रहीं नॉनवेज की दुकानें तो दीपावली के दिन पुतला फूंकेगा बजरंग दल

मिशन चौक और अहमदनगर में संचालित दुकानों पर कार्रवाई की मांग



कटनी, देशबन्धु। त्योहारों पर शहर के प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर खुले में संचालित मांस, मुर्गा, मछली एवं अंडे की दुकानों को लेकर विवाद गहराने लगा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐसी दुकानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और नियमों के अनुरूप व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास खुले में मांस-मछली की बिक्री से धार्मिक भावनाएं आहत होने के साथ स्वच्छता और सार्वजनिक वातावरण भी प्रभावित होता है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम सीमा क्षेत्र में खुले में और सडक़ किनारे संचालित मांस, मुर्गा, मछली एवं अंडे की दुकानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने विशेष रूप से दुर्गा चौक, भट्टा मोहल्ला, मशीन चौक और अहमदनगर का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में कई दुकानें खुले में संचालित हो रही हैं। इन स्थानों पर त्योहारों के दौरान बढ़ती गतिविधियों के बीच स्वच्छता, दुर्गंध और सार्वजनिक वातावरण को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं।

कई वर्षों से शिकायत, कार्रवाई पर उठाए सवाल

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस समस्या को लेकर पिछले कई वर्षों से नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन और शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस एवं स्थायी समाधान सामने नहीं आया है। संगठन ने सवाल उठाया कि जब नगर निगम के पास दुकानों के संचालन, स्वच्छता और सार्वजनिक स्थलों को लेकर निर्धारित नियम हैं, तो फिर सडक़ किनारे और खुले में इस तरह की दुकानें कैसे संचालित हो रही हैं?

दीपावली पर पुतला दहन की चेतावनी

ज्ञापन में नगर निगम प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं हिंदू समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि मांगों की अनदेखी होने पर दीपावली के दिन नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है। त्योहारों के बीच शहर की स्वच्छता, सार्वजनिक व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करे, ताकि शहर में किसी भी प्रकार का विवाद या अस्वच्छता की स्थिति निर्मित न हो।

कटनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कटनी लाया गया आरोपी

इंदौर में छिपा था फर्जी सिम से साइबर ठगी करने वाला



कटनी, देशबन्धु। फर्जी सिम कार्ड जारी कर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने के मामले में थाना माधवनगर पुलिस ने ऑपरेशन स्वस्थ्य-2.0 के तहत लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी नवीन माखीजा को इंदौर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को इंदौर रवाना किया गया था, जहां से उसे हिरासत में लेकर कटनी लाया गया और विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक अनिमेष द्विवेदी के मार्गदर्शन तथा माधवनगर थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, गृह मंत्रालय भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से प्राप्त निर्देशों के तहत संदिग्ध पीओएस एजेंट, फर्जी सिम उपयोगकर्ताओं और उनसे जुड़े व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। जिला साइबर टीम की जांच में सामने आया कि कटनी जिले में पीओएस एजेंट के माध्यम से फर्जी सिम जारी किए गए थे। इन सिम कार्डों का उपयोग देश के विभिन्न राज्यों में हुई साइबर ठगी की वारदातों में किया गया।

उमरियापान नायब तहसीलदार कार्यालय की हालत खस्ता, रखरखाव नदारद

जगह-जगह उखड़ा प्लास्टर, दीवारों पर जमी काई, परिसर में फैली गाजरघास



उमरियापान, देशबन्धु। कृषि उपमंडी के समीप करीब डेढ़ दशक पहले निर्मित उमरियापान नायब तहसीलदार कार्यालय का भवन अब बदहाली की तस्वीर बन चुका है। भवन की हालत गेट से ही नजर आने लगती है। जगह जगह उखड़ा प्लास्टर, दीवारों पर सीपेज और उखड़ती पपड़ियों के बीच सीमेंट के थिगड़े भवन की दुर्दशा बयां कर रहे हैं। रंगरोगन के अभाव में दीवारों पर काई जम गई है। भवन के बाहरी हिस्से और परिसर में गाजरघास फैल चुकी है, जिससे जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा भी बना हुआ है। बताया जाता है कि पिछले कई वर्षों से भवन की मरम्मत और रखरखाव नहीं हुआ है। नतीजन यहां पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को जर्जर भवन में बैठकर काम करना पड़ रहा है।

कार्यालय तक पहुंचने का रास्ता भी बदहाल

कार्यालय की परेशानी सिर्फ भवन तक सीमित नहीं है। मंगलभवन से कार्यालय तक पहुंचने वाला सीसी मार्ग भी जर्जर हो चुका है। मार्ग में जगह जगह छोटे बडे कई गड्ढे चुके है। वहीं मार्ग में उखडी पडी गिट्टी बिखरी पडी है। ऐसे में राजस्व संबंधी कामकाज के लिए कार्यालय पहुंचने वाले ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

मरम्मत और रखरखाव की दरकार

नायब तहसीलदार कार्यालय क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए राजस्व संबंधी कार्यों का प्रमुख केंद्र है। इसके बावजूद भवन की मरम्मत, रंगरोगन और परिसर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि भवन का निरीक्षण कर जल्द मरम्मत कराई जाए। साथ ही कार्यालय तक पहुंचने वाले मार्ग को भी दुरुस्त किया जाए, ताकि अधिकारी कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों को भी राहत मिल सके।

आम सूचना

मैं दीपेश जैन पिता श्री विनय कुमार जैन सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र धारांश जैन (DHARANSH JAIN) का आधार कार्ड में गलत नाम धीनय जैन (DHEENAY JAIN) दर्ज हो गया है जबकि जन्म प्रमाण पत्र धारांश जैन (DHARANSH JAIN) है समस्त शासकीय/अर्धशासकीय में मेरे पुत्र का नाम धारांश जैन (DHARANSH JAIN) है। धीनय जैन (DHEENAY JAIN) एवं धारांश जैन (DHARANSH JAIN) दोनों ही नाम मेरे पुत्र के हैं। इस विज्ञप्ति उपरांत मेरे पुत्र को धारांश जैन (DHARANSH JAIN) के नाम से जाना पहचाना लिखा पढ़ा एवं पुकारा जाये।

गलत नाम-
धीनय जैन (DHEENAY JAIN)
सही नाम-
धारांश जैन (DHARANSH JAIN)
पिता दीपेश जैन पिता श्री विनय कुमार जैन बाहुबली बस्ती बच्चन नायक गली सावरकर वार्ड जिला- कटनी (म.प्र.)

नाम सुधार सूचना

मैं, श्री रामशिरोमणि लोधी, पिता स्व. श्री जियालाल लोधी, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम गोपालपुर, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम अनुराग लोधी, पिता श्री रामशिरोमणि लोधी है, जिसका आधार कार्ड क्रमांक 793020131813 है।

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलत नाम अभिषेक साहू, पिता श्री रमशीरोमणी लोधी अंकित हो गया है, जबकि मेरे पुत्र के समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेज, जैसे अंकसूची (मार्कशीट), समग्र आईडी, जन्म प्रमाण पत्र आदि में उसका सही नाम अनुराग लोधी, पिता श्री राम शिरोमणि लोधी ही अंकित है।

मेरे पुत्र के दोनों नाम अनुराग लोधी एवं अभिषेक साहू उसी व्यक्ति के हैं तथा नाम संबंधी त्रुटि केवल आधार कार्ड में है। अन्य सभी दस्तावेजों में नाम सही है।

अतः यह आम सूचना नाम संबंधी त्रुटि के सुधार एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचने हेतु प्रकाशित की जा रही है।

प्रदेश में पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं तो नागरिकों की रक्षा कौन करेगा : कांग्रेस

प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था और माफिया राज के खिलाफ प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन



कटनी, देशबन्धु। जिला कांग्रेस कमेटी कटनी शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शराब, रेत एवं खनिज माफियाओं के आतंक के बीच आम नागरिकों के साथ-साथ पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में शराब माफिया द्वारा खातौंगांव थाना प्रभारी दिलीपपुरी गोस्वामी की ट्रक से कुचलकर की गई निर्मम हत्या प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि जब कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी ही माफियाओं के हमलों का शिकार हो रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश में अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त होता दिखाई दे रहा है और माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। एड. अमित शुक्ला ने कहा, मध्यप्रदेश में माफियाओं का आतंक और कानून व्यवस्था की बदहाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस की स्पष्ट मांग है कि माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई हो और प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जाए। अपराधियों के सामने सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए कांग्रेस सडक़ से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। ज्ञापन के माध्यम से थाना प्रभारी दिलीप पुरी गोस्वामी की हत्या के सभी आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, प्रदेश में सक्रिय माफियाओं के अवैध कारोबार पर तत्काल रोक, माफियाओं को संरक्षण देने वालों की निष्पक्ष जांच तथा पुलिस अधिकारियों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही कटनी जिले में भी अवैध गतिविधियों एवं माफिया तंत्र पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की मांग की गई। जिला कांग्रेस कमेटी कटनी शहर ने शासन-प्रशासन से मांग की कि उक्त गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी कटनी शहर अध्यक्ष एड. अमित शुक्ला प्रेम बत्रा, राजा जगवानी, राजेश जाटव, अजय जैसवानी, श्याम पाहुजा, आफताब अहमद, विजय मंगल चौधरी, अहमद कुरैशी, राहुल होतवानी, नारायण निषाद, राजकुमार विश्वकर्मा, रमेश अहिरवार, कपिल पटेल, अंशु गुप्ता, ऋषभ पटेल, लक्ष्मी यादव, इकलाख अहमद एवं हर्षित मिश्रा सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कांग्रेसजन उपस्थित रहे।